Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 7 | JULY 2024

जनजातीय विद्यार्थियों की समस्याएं, चुनौतियां एवं समाधान

चुन्नीलाल मायल[1] | डॉ. राजेंद्र कुमार मेघवाल[2]

[1] भूगोल विभाग, जीजीटीयू, बांसवाड़ा (राज.).

[1] राजकीय कॉलेज छोटी सरवन बांसवाड़ा (vsy).

ABSTRACT:

कुछ ऐसे समूह है जो अन्य समाजों से प्रारंभ से दूर रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में समाज से कटे हुए यह लोग दूर जंगलों या पहाड़ों पर निवास करते हैं। जिनका वर्णन हमारे प्राचीन साहित्य में भरपूर किया गया है जैसे अनासा आधुनिक भाषा में इन्हें जनजाति समूह या आदिवासी कहा जाता है यह लोग एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं। तथा समान भाषा सामान्य संस्कृति का प्रयोग करते हैं। भारत में अनेक जनजातियों का समूह निवास करता है। जैसे, डामोर, मीणा, सांसी, भील, संथाल, मुंडा गरासिया, आदि यह जनजातियां प्राचीन काल से ही अनेक समस्याओं से ग्रसित रही है जैसे गरीबी, छुआछूत, बेरोजगारी रूढ़िवादिता, भूमिहीनता, प्रमुख समस्याएं हैं, साथ ही अनेक सामाजिक समस्याएं भी पाई जाती हैं, जिनका निवारण सरकार व अन्य समाजसेवी संस्थाएं लगातार अनेक योजनाओं को चलकर इनका कर रही है। प्रस्तुत शोध इसी विषय पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

KEYWORDS:

जनजातीय, अस्पृश्यता, गरीबी, बेरोजगारी, संस्कृति विलगन, शिक्षा सरकारी योजनाएं।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
24th July 2024	25th July 2024

प्रस्तावना:

प्रस्तुत शोध में जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों उनके सामने आने वाली समस्याओं के समाधान, निराकरण का उपाय किया गया है। जहां वर्तमान में मानव ने विज्ञान में प्रौद्योगिकी के विकास से अनेक सुख सुविधा प्राप्त कर ली वहीं दूसरी ओर ऐसे मानव समूह या मानव समुदाय निवास करते हैं। जो आज भी उन भौतिक के सुख सुविधाओं से दूर समाज से अलग पहाड़ों एवं जंगलों में निवास करते हैं। जिन्हें जनजाति के नाम से जाना जाता है। यह समूह प्राचीन काल से ही प्रकृति प्रेमी रहे तथा आधुनिक समाज से दूर रहे हैं। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक के आदि राज्यों में अनेक जनजातीय समूह निवास करते रहे हैं। इस समाज की सबसे बड़ी गंभीर समस्या अशिक्षा एवं बेरोजगारी व पिछड़ापन रहा है। यही कारण है कि इस वर्ग की की गरीबी का उन्मूलन का प्रयास लगातार सरकार कर रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात सरकार इन क्षेत्रों में उप योजना कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं लेकिन आज भी इन क्षेत्रों में यह जनजातीय पिछड़ी हुई अवस्था में पाई जाती हैं आज भी अशिक्षा बेरोजगारी अंधविश्वास आदि के कुचक्र में जकड़ी हुई है। इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। और नियोजन सामान नहीं है।

'आदिवासी' या 'आदिवासी' शब्द हमारे मन में अर्धनग्न पुरुषों और महिलाओं की छवि बनाता है, जो तीर और भाले चलाते हैं, सिर पर पंख पहनते हैं और अस्पष्ट भाषा बोलते हैं।

जबकि विश्व के अधिकांश समुदाय विश्व की "प्रगति" के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन करते रहे, वहीं ऐसे समुदाय भी थे जो अपने पारंपरिक मूल्यों, रीति-रिवाजों और विश्वासों के प्रति सच्चे रहे, जिससे वे प्रकृति और अपने प्रदूषण रहित पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाए।

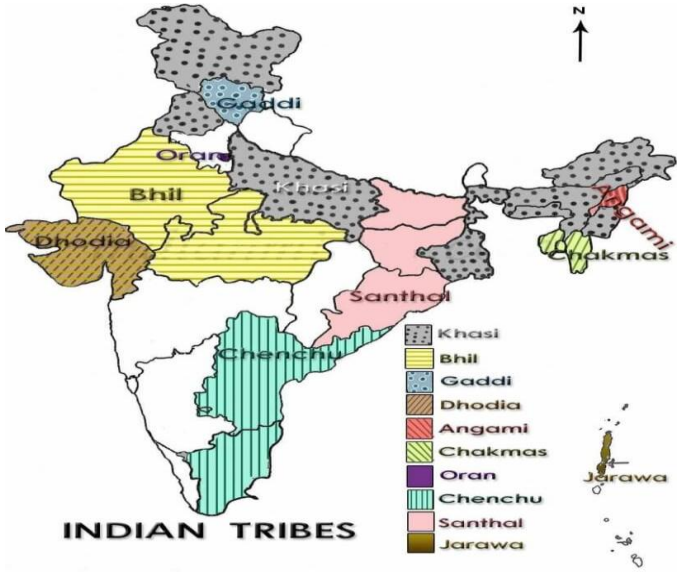

तथाकथित सभ्य दुनिया ने इन समुदायों को मूल निवासी, असभ्य लोग, आदिवासी, स्वदेशी, संपर्क रहित लोग और ऐसे कई अन्य नामों से पुकारा है। भारत में, उन्हें आम तौर पर आदिवासी/गिरिजन के नाम से जाना जाता है।

चाहे सामाजिक हो या तकनीकी, भारत में आदिवासियों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। वे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और कई सामाजिक और धार्मिक परेशानियों का सामना करते हैं; वे गरीबी में हैं और शोषण और जबरन विस्थापन से गुज़रते हैं, साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। हर दिन पूरे भारत में नई आदिवासी समस्याएं सामने आती हैं।

अनुमान है कि आदिवासियों की संख्या 104 मिलियन है और वे देश की कुल आबादी का 8.61 प्रतिशत हैं, और 2011 की जनगणना ने यह रिपोर्ट दी है। पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों और राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक फैले "केंद्रीय आदिवासी क्षेत्र" में स्वदेशी लोगों की संख्या सबसे अधिक है।

अनुसूचित जनजातियों की आधी से अधिक आबादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात में रहती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में लगभग 700 अनुसूचित जनजातियों की पहचान की गई है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। कई जनजातियाँ कई राज्यों में पाई जाती हैं।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ (यानी 62) हैं। संथाल, गोंड, अंगामी, भील, खासी, भूटिया और ग्रेट अंडमानी भारत के कुछ प्रमुख आदिवासी समूह हैं।

इनमें से प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन जीने का तरीका है। देश में ऐसी कई जनजातियाँ हैं जो मुख्य भूमि से दूर रहती हैं।

भारत में ऐसे कई जातीय समूह हैं जो अभी तक अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के योग्य नहीं हैं और यही कारण है कि उन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. जनजातीय विद्यार्थियों की समस्याएं प्रस्तुत करना।

2. जनजातीय विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना।

भारत की जनजातियों के प्रमुख मुद्दे

अनुसूचित जनजातियों में आदिम विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय से संपर्क करने में संकोच और पिछड़ापन है। नतीजतन, उन्हें अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में जनजातीय समस्याएं कई हैं, जिनमें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे शामिल हैं।

शैक्षिक मुद्दे

अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की साक्षरता दर (एलआर) 1961 में 8.53 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 58.96 प्रतिशत हो गई है, जबकि कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 1961 में 28.30 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 72.99 प्रतिशत हो गई है।

2001 से 2011 तक, अनुसूचित जनजातियों के लिए एलआर में 11.86 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई तथा सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए 8.15 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

जनजातीय छात्रों में स्कूल छोड़ने की दर अविश्वसनीय रूप से अधिक है, विशेष रूप से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर।

उच्च शिक्षा भी प्रभावित है; कक्षा 10 में 73%, कक्षा 11 में 84% तथा कक्षा 12 में 86% विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आदिवासी बच्चे स्कूल में एक "बड़ी समस्या" हैं।

इस तरह के पूर्वाग्रह आदिवासी बच्चों को कक्षा में सीखने से रोकते हैं तथा भेदभाव और बहिष्कार को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत में आदिवासी समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

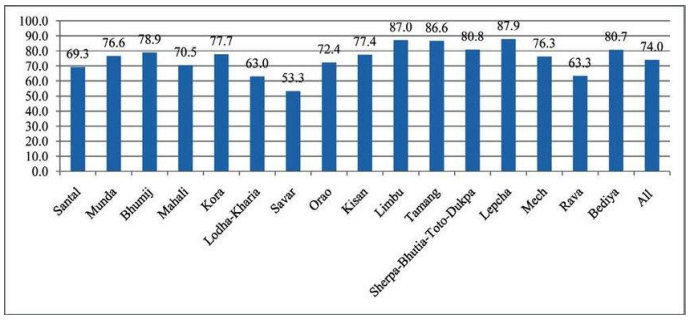

Location	Social Group	1983	1993–1994	2004–2005	% change between 1983 and 2005
Rural	Scheduled Tribe	63.9	50.2	44.7	–30
	Scheduled Caste	59.0	48.2	37.1	–37
	Others	40.8	31.2	22.7	–44
	All	46.5	36.8	28.1	–40
Urban	Scheduled Tribe	55.3	43.0	34.3	–38
	Scheduled Caste	55.8	50.9	40.9	–27
	Others	39.9	29.4	22.7	–43
	All	42.3	32.8	25.8	–39
Total	Scheduled Tribe	63.3	49.6	43.8	–31
	Scheduled Caste	58.4	48.7	37.9	–35
	Others	40.5	30.7	22.7	–44
	All	45.6	35.8	27.5	–40

धार्मिक मुद्दे

आदिवासी लोग अलौकिक शक्तियों और महामानवों में विश्वास करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। इससे युवा शिक्षित लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। आदिवासी संस्कृति में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है क्योंकि वे अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आ रहे हैं।

जनजातीय लोग अपने सामाजिक जीवन के कई पहलुओं में पश्चिमी संस्कृति से मेल खाते हैं, जबकि वे अपनी संस्कृति को त्याग रहे हैं।

इसके परिणामस्वरूप जनजातीय जीवन और जनजातीय कलाओं जैसे नृत्य, संगीत और विभिन्न प्रकार के शिल्प का पतन हुआ है।

सामाजिक मुद्दे

बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी जनजातियों में बाल विवाह की प्रथा है, जो संवैधानिक रूप से गलत है और इसके कई नकारात्मक परिणाम हैं। कुछ हिमालयी जनजातियाँ बहुपतित्व और बहुविवाह का अभ्यास करती हैं।

ऐसी प्रथाओं को मुख्यधारा के समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। शिशुहत्या, हत्या, पशु बलि, काला जादू, पत्नी की अदला-बदली और अन्य हानिकारक प्रथाएँ अभी भी जनजातियों द्वारा प्रचलित हैं, जिन्हें भारत में एक महत्वपूर्ण जनजातीय समस्या माना जाता है।

जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने में भाषा भी एक बाधा है।

स्वास्थ्य के मुद्दों

स्वास्थ्य सेवा के मामले में आदिवासी आबादी के बीच कई संदिग्ध मुद्दे हैं। सबसे कमज़ोर कड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक, प्रशिक्षित और सुसज्जित स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी, जनजातीय आबादी को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है।

अनुसूचित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और प्रबंधकों की कमी, रिक्तियां, अनुपस्थिति या उदासीनता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतियों को आकार देने, योजना बनाने या सेवाओं को लागू करने में अनुसूचित जनजातियों के लोगों या उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी का लगभग पूर्ण अभाव, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुचित रूप से डिजाइन और खराब तरीके से संगठित और प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल के कारणों में से एक है।

अनुसूचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) जैसी चिकित्सा बीमा कवरेज बहुत कम है। इसलिए, अनुसूचित जनजाति के लोग भयावह और गंभीर बीमारियों के प्रति सुरक्षा के

बिना रहते हैं।

जनजातीय लोगों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 44 से 74 के बीच होने का अनुमान है।

तम्बाकू और शराब का सेवन

ज़ाक्सा समिति की रिपोर्ट 2014 के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 से 54 वर्ष की आयु के पुरुष बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाते हैं, या तो धूम्रपान करते हैं या चबाते हैं। अनुसूचित जनजातियों में लगभग 72 प्रतिशत और गैर-अनुसूचित जनजातियों में 56 प्रतिशत तम्बाकू का सेवन प्रचलित था।

शराब पीना कई आदिवासी समुदायों के सामाजिक अनुष्ठानों का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर, यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लगभग आधे पुरुष (51 प्रतिशत) किसी न किसी रूप में शराब पीते हैं।

ग्रामीण अनुसूचित जनजाति के लगभग 73 प्रतिशत पुरुष तम्बाकू का सेवन करते हैं, जबकि शहरी समकक्षों में यह प्रतिशत 60 है। पश्चिम बंगाल, बिहार, मिजोरम और ओडिशा जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में तम्बाकू का सेवन व्यापक रूप से पाया गया (80 प्रतिशत से अधिक)। इससे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं।

गरीबी और ऋणग्रस्तता

अधिकांश जनजातियाँ गरीब हैं। जनजातियाँ अल्पविकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित विभिन्न प्रकार के सरल व्यवसायों में संलग्न हैं।

अधिकांश व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय हैं जैसे शिकार, संग्रहण और कृषि। ऐसे उद्देश्यों के लिए वे जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वह सबसे बुनियादी प्रकार की होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई लाभ या अधिशेष नहीं होता है।

परिणामस्वरूप, उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जो भारतीय औसत से बहुत कम है। अधिकांश लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं और स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कर्ज में डूबे रहते हैं।

वे अक्सर कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन साहूकारों के पास गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं। इन साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दरों को देखते हुए, भारत में ऋण का बोझ एक लगभग अपरिहार्य आदिवासी समस्या है।

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

संविधान के पन्नों को देखें तो जहाँ एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वहीं दूसरी तरफ, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे।

- अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिये 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।
- संवैधानिक प्रावधानों से इतर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल हैं- सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था मसलन- छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग-अलग विभागों की स्थापना की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद इसका एक अच्छा उदाहरण है।
- इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3% थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है।
- हालिया सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। मसलन अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये लाभकारी सिद्ध होगी।

इन सराहनीय कदमों के बावजूद देश भर में जनजातीय विकास को और मज़बूत करने की दरकार है। यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्यधारा में आने से कतराता है, लेकिन ऐसे में इनका समुचित विकास और संरक्षण भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल हैं- सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था मसलन- छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग-अलग विभागों की स्थापना की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद इसका एक अच्छा उदाहरण है।

इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3% थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है।

हालिया सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। मसलन अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये लाभकारी सिद्ध होगी।

इन सराहनीय कदमों के बावजूद देश भर में जनजातीय विकास को और मज़बूत करने की दरकार है। यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्यधारा में आने से कतराता है, लेकिन ऐसे में इनका समुचित विकास और संरक्षण भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

एकलव्य मॉडल स्कूल 2022 तक प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में नवोदय विद्यालय मॉडल पर आधारित है। आवासीय विद्यालय खोला जाएगा इसके माध्यम से छात्रों में आ रही समस्या का निराकरण किया जा सकेगा।

1.जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस)

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए. से टी.एस.एस.) भारत सरकार से 100% अनुदान है (1977-78 से)। इसे भारत की समेकित निधि (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान को छोड़कर, एक वोटेड मद) से लिया जाता है और यह राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक अतिरिक्त है। इस अनुदान का उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आई.टी.डी.ए.), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आई.टी.डी.पी.), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एम.ए.डी.ए.) पॉकेट्स और क्लस्टर्स, पी.वी.टी.जी. और बिखरी हुई जनजातीय आबादी के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है।

2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला 100% वार्षिक अनुदान है। इसे भारत की संचित निधि (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान को छोड़कर, एक वोटेड मद) में जमा किया जाता है और यह राज्य योजना निधि और आदिवासी विकास के प्रयासों के लिए एक अतिरिक्त राशि है। निधियों का उपयोग एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी (आईटीडीए), एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एमएडीए) पॉकेट्स और क्लस्टर्स और पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किया जाता है।

3.अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना

यह योजना 1953-54 में शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2008 से इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था । इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा जाल आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले आदिवासी क्षेत्रों में अंतराल को भरना और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है । स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से एसटी के सामाजिक-आर्थिक विकास या आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव डालने वाली कोई अन्य अभिनव गतिविधि पर भी विचार किया जा सकता है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत अनुशंसित, निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

4.कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने की योजना

इस योजना का उद्देश्य पहचाने गए जिलों या ब्लॉकों में, विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के निवास वाले क्षेत्रों में सामान्य महिला आबादी और आदिवासी महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर को कम करना है, इसके लिए एसटी लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए आवश्यक माहौल तैयार करना है । यह एक केंद्रीय क्षेत्र की लिंग विशिष्ट योजना है और मंत्रालय 100% वित्त पोषण प्रदान करता है । संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत अनुशंसित आवेदन (निर्धारित प्रारूप में) पर पात्र गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है । इस योजना को 1.4.2008 से संशोधित किया गया है । इसे 54 पहचाने गए कम साक्षरता वाले जिलों में लागू किया जा रहा है जहाँ एसटी आबादी 25% या उससे अधिक है और एसटी महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 35% से कम है।

5.जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं को विभिन्न प्रकार की नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए कौशल विकसित करना और उनकी आय में वृद्धि करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है । इस योजना में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं । यह एक क्षेत्र-विशिष्ट योजना नहीं है, शर्त यह है कि मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं केवल आदिवासी युवाओं को ही दी जाती हैं, इस योजना के तहत 100% अनुदान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और योजना को लागू करने वाले अन्य संघों को प्रदान किया जाता है । इस योजना के तहत प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (VTC) क्षेत्र की रोजगार क्षमता के आधार पर पारंपरिक कौशल में पाँच व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है। 2018-19 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है और इस हस्तक्षेप को आदिवासी उप-योजना (SCA से TSS) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

6.विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) विकास

1998-99 में, पीवीटीजी के विशेष विकास के लिए 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी । इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1.4.2015 से इस योजना को संशोधित किया गया । इस योजना में केवल 75 चिन्हित विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। यह योजना बहुत लचीली है और यह प्रत्येक राज्य को पीवीटीजी के लिए किसी भी विकासात्मक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, कनेक्टिविटी, प्रकाश के उद्देश्य से ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव गतिविधि।

7.अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिकाओं एवं बालकों के छात्रावास की योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को नए छात्रावास भवनों के निर्माण और/या मौजूदा छात्रावासों के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है । योजना को 1.4.2008 से संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचाने गए) में लड़कों के छात्रावास के निर्माण के लिए 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए पात्र हैं । अन्य लड़कों के छात्रावास के लिए राज्य सरकारों को वित्त पोषण पैटर्न 50:50 के आधार पर है । केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र सरकार लड़कों और लड़कियों दोनों के छात्रावासों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है । अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) के छात्रावासों को अन्य छात्रावासों के समान मानदंडों पर वित्त पोषित किया जाता है । संसद सदस्य भी इस उद्देश्य के लिए अपने एमपीलैड यह निर्णय लिया गया है कि 2018-19 से इस योजना को बंद कर दिया जाएगा तथा इसे जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस) के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा।

8. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की योजना

इस योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों में साक्षरता दर बढ़ाने और उन्हें देश की अन्य जनसंख्या के बराबर लाने के लिए सीखने के अनुकूल वातावरण में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना है । इस योजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित किया गया है । संशोधित योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें सभी बालिका आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित) में बालकों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के लिए पात्र हैं । अन्य बालकों के आश्रम विद्यालयों के लिए वित्त पोषण पैटर्न 50:50 के आधार पर है, जबकि बालिकाओं और बालकों के आश्रम विद्यालयों दोनों के निर्माण के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है । इस योजना में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है।

9.छात्रवृत्ति योजनाएं

मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें:

(i) एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (9 वीं और 10 वीं कक्षा)

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 वीं से आगे)

(iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति

(iv) विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस)

ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित योजनाओं को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, तथा पात्र एसटी छात्रों को वितरित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है । इन योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात एसटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, केंद्र और राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के बीच 75:25 के अनुपात में धनराशि साझा की जा रही है, तथा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 90:10 के अनुपात में धनराशि साझा की जा रही है।

उपरोक्त योजना (iii) के अंतर्गत, संस्थानों/छात्रों को धनराशि जारी की जाती है, तथा एनओएस योजना के अंतर्गत, प्रतिपूर्ति के आधार पर विदेश मंत्रालय को धनराशि जारी की जाती है।

10. जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित किए गए हैं । इस योजना का मूल उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी बुनियादी संरचना संबंधी आवश्यकताओं, अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण गतिविधियों तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ बनाना है । यह परिकल्पना की गई है कि टीआरआई को जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, साक्ष्य आधारित योजना और उचित कानून बनाने के लिए राज्यों को इनपुट प्रदान करने, जनजातीय लोगों और जनजातीय मामलों से जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं की क्षमता निर्माण, सूचना का प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए कमोबेश एक थिंक टैंक के रूप में ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के रूप में काम करना चाहिए। इस योजना के तहत जनजातीय मामलों

के मंत्रालय द्वारा टीआरआई को आवश्यकता के आधार पर 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

11. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास

लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (एमएसपी फॉर एमएफपी योजना) वर्ष 2013-14 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, आदिवासियों को उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था। प्रारंभ में, इस योजना में 9 राज्यों में 10 एमएफपी शामिल थे। बाद में इसे 24 एमएफपी और सभी राज्यों में विस्तारित किया गया। यह योजना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय एसएलए को एक परिक्रामी निधि प्रदान करता है। यदि कोई नुकसान होता है, तो केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। वर्तमान में, इस योजना में 23 एमएफपी शामिल हैं और यह सभी राज्यों के लिए लागू है।

12. जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास

निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी बेरोजगार या अल्परोजगार वाले अनुसूचित जनजातियों के स्वरोजगार के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित करता है:

टर्म लोन योजना: एनएसटीएफडीसी किसी भी आय सृजन योजना के लिए टर्म लोन प्रदान करता है, जिसकी लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट तक होती है। वित्तीय सहायता योजना की लागत के 90% तक बढ़ाई जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर के योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है। ₹5 लाख तक के ऋण के लिए ब्याज दर 6% प्रति वर्ष, ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच के ऋण के लिए 8% प्रति वर्ष और ₹10 लाख से अधिक के ऋण के लिए 10% प्रति वर्ष है।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (AMSY): इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाएं कोई भी आय सृजन गतिविधि कर सकती हैं। ₹1 लाख तक की लागत वाली योजना के लिए 90% तक ऋण 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना: निगम प्रति सदस्य ₹50,000/- और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है। ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है।

आदिवासी शिक्षा ऋण योजना: इस योजना के तहत, भारत में पीएचडी सहित व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ₹5.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना आरजीएनएफ: आरजीएनएफ को 2005- 06 में शुरू किया गया था। जिसके माध्यम से जनजातीय समुदायों के छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया गया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण:-

केंद्र इस योजना का उद्देश्य जनजातीय छात्रों की योग्यता और वर्तमान बाजार रुझान के आधार पर कौशल विकसित करना कोठारी आयोग ने अनुसूचित जनजाति के शिक्षा पर विशेष से ध्यान देने पर बल दिया गया ऐसे शिक्षकों की स्थानीय स्तर पर भारती की जानी चाहिए जो स्थानीय संस्कृति प्रथाओं को समझते हैं। मुख्य रूप से स्थानीय भाषा से परिचित हो यथपि केंद्र, राज्य सरकार द्वारा उनकी समस्याओं की निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। और प्रयास जारी है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

शैक्षणिक स्तर में सुधार: जनजातीय स्थिति में सुधार तभी संभव है जब इनका शिक्षा का स्तर सुदृढ़ होगा इसके लिए प्रत्येक राजस्व गांव में राजकीय विद्यालय स्थापित करके बच्चों को प्रोत्साहित करके लाभान्वित किया जा सकता है आवासीय विद्यालय स्थापित होना चाहिए का शिक्षा पूर्णता निशुल्क होनी चाहिए परिवहन में संसार सुविधाओं का विकास जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन का विकास करके आधुनिक सुविधाओं एवं विद्यालय विश्वविद्यालय तक के पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए।

REFERENCES

1. गहलोत, जगदीश सिंह,"राजस्थान साहित्य मंदिर, जोधपुर 1976।

2. मीना, गंगासाय "आदिवासी चिंतन की भूमिका,, अनाया पब्लिकेशन 2016।

3 लक्ष्मीकांत एम" भारत की राजव्यवस्था, मेक ग्रा हिल एजुकेशन 2016।

4. वैश्वीकरण के दौर में महिलाएं, वर्मा अमित, कुमार भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ अप्रैल जून 2014

5. भारत की जनगणना, 2001 2011 भारत सरकार जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान जयपुर

6. प्रकाश, चंद्र मेहता" भारतके आदिवासी, शिव प्रकाशन उदयपुर 2007।

7. गुप्ता, अंजलि आलेख," बदलते परिवेश में जनजातीय समस्याएं एवं कल्याणकारी योजनाएं, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली दिसंबर 2008।